प्रेस विज्ञप्ति

15/05/2026

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक सुजीत बोस को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत 11.05.2026 को सुजीत बोस, पूर्व मंत्री (अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग, पश्चिम बंगाल) व पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने आगे की जांच हेतु ईडी को 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है।

जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने सुजीत बोस को उनके बयान दर्ज करने हेतु अनेक बार समन जारी किए, तथापि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तथा व्यस्तता का हवाला देने एवं बार-बार स्थगन की मांग करने सहित विभिन्न बहानों के आधार पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होना टालते रहे। यहां तक कि अंततः उपस्थित होने पर भी उन्होंने टालमटोल वाले उत्तर दिए तथा जांच पड़ताल की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान असहयोगात्मक रवैया बनाए रखा। धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई जांच से यह उजागर हुआ कि सुजीत बोस, अनेक व्यक्तियों को नौकरी सुनिश्चित कराने के एवज में प्राप्त अनेक फ्लैटों के रूप में प्रत्यक्ष अपराध से अर्जित आय के लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उजागर हुआ कि उन्होंने करोड़ों रुपये की अपराध से अर्जित नकद आय की प्राप्ति की, जिसका उन्होंने बाद में उनके कथित व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से धन शोधन किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस प्रकरण में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच की शुरुआत की। यह उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य प्रकरण में डब्ल्यूपीए 9979/2022 में सीएएन 1/2023 के साथ सीएएन 2/2023 आवेदन दायर किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों पर की गई भर्ती में हुई अनियमितताओं से संबंधित अपने निष्कर्षों पर आधारित स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

पूर्व में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के दौरान वर्ष 2023 में अयान सिल एवं अन्य से संबद्ध विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी के दौरान अयान सिल के कब्जे से कई अपराध संकेती दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए। अपराध संकेती दस्तावेजों की जांच से यह उजागर हुआ कि यह घोटाला केवल शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न नगरपालिकाओं [जिसमें कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बरानगर, हलिशहर, दक्षिण दमदम (उत्तर), दमदम आदि शामिल हैं] द्वारा की गई कई

अन्य नियुक्तियों से भी संबंधित है, जिसमें मजदूर, सफाईकर्मी, लिपिक, चपरासी, एम्बुलेंस परिचारक, सहायक मिस्त्री, पंप परिचालक, सहायक कर्मचारी, स्वच्छता सहायक, चालक आदि पदों पर भर्ती शामिल है।

अब तक की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि विभिन्न नगर निगमों, नगरपालिकाओं आदि से संबंधित प्रश्न पत्रों की छपाई, ओएमआर शीटों की छपाई, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन तथा मेरिट सूची तैयार करने आदि के अनुबंध एक ही कंपनी मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक – अयान सिल) को प्रदान किए गए थे। अयान सिल तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जिनमें लोक सेवक एवं राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, ने अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा तथा उक्त षड्यंत्र के अनुसरण में मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अयान सिल ने, ओएमआर शीटों की छपाई, अभिकल्पन एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होने के कारण अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, अभ्यर्थियों की ओएमआर शीटों में हेरफेर किया तथा धनराशि एवं अन्य लाभों के बदले विभिन्न नगरपालिकाओं में अनेक अयोग्य अभ्यर्थियों की अवैध नियुक्तियों को सुगम बनाया।

पूर्व में, प्रवर्तन निदेशालय ने सुजीत बोस, पूर्व विधायक एवं पूर्व अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएं मंत्री, पश्चिम बंगाल के कार्यालय सहित विभिन्न परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी की कार्यवाही के दौरान संपत्ति संबंधी दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा लगभग 3.45 करोड़ रुपये की नकदी, जो इस घोटाले से संबंधित विभिन्न परिसरों से संबद्ध थी, बरामद एवं जब्त की गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस प्रकरण में अयान सिल के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नगरपालिकाओं के विभिन्न पदाधिकारियों, सुजीत बोस, पूर्व विधायक तथा रथीन घोष, विधायक एवं पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, पश्चिम बंगाल के आवासीय परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था।

आगे की जांच जारी है।